## 300 (5) अति विशिष्ट व्यक्तियों की मृत्यु होने पर कार्यालयो ंऔर औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बंद रखना

लोक उद्यम ब्यूरो में समय–समय पर ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए है, जिनमें अतिविशिष्ट व्यक्तियों की मृत्यु के दिन कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के संबंध मे ंसरकारी उद्यमों द्वारा अपनाई जाने वाली नीति के बारे में पूछा जाता है। ऐसी घटनाएं होने पर सरकारी उद्यमों द्वारा अपनाए जा सकने वाले सामान्य नीति निदेशों के निर्धारण पर विचार किया गया। मैं इस ज्ञापन के साथ गृह मंत्रालय के तारीख 25.1.72 के का ज्ञा. की एक प्रति संलग्न कर रहा हूँ, जिसमें अति विशिष्ट व्यक्त्यों की मृत्यु होने पर सरकारी विभागों और इसके औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की व्याख्या की गई है। ध्यान रखें कि केन्द्र सरकार के औद्योगिक प्रतिष्ठान किसी अति–विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु होने पर बंद नहीं होंगे। हालांकि, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर ऐसे प्रतिष्ठान अंत्येष्टि के दिन उस स्थान पर बंद रहेंगे, जिस स्थान पर अंत्येष्टि की जानी है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन उस स्थान पर उस दिन सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किय जाएगा। किसी अन्य अति विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु होने पर इस अधिनियम के अधीन कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं किया जाएगा। राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी अति विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु होने पर संबंधित सरकार या प्रशासन द्वारा अपने कार्यालय को बंद रखने के बारे में निण्रय लेना अपेक्षित होगा। ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए उनका अनुसरण करना आवश्यक नहीं है। किंतु किसी राज्य के राज्यपाल या मुख्य मंत्री की मृत्यु होने पर अनुबंध–I में निहित अनुदेशों के अनुसार ओसे कार्यालय (किंतु औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं) बंद रखने चाहिए ताकि अधिकारी और कर्मचारी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें या अंत्येष्टि में भाग ले सकें।

किसी अति–विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु होने पर मुख्यालय और औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दोनों में स्थित सरकारी उद्यमों के कार्यालय केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए लागू सिद्धांतों का अनुपालन कर सकते है।

**(अति–विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु होने पर कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के संबंध में गृह मंत्रालय के 25.1.72 के का ज्ञा.सं. 3/10/76 पत्र–II की प्रति)**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अति विशिष्ट व्यक्तियों की मृत्यु होने परपक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने और सरकार के कार्यालयों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने संबंधी वर्तमान अनुदेशों पर इस प्रकार के बंद से सरकार के कार्यों में पड़ने वाले व्यवधानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में होने वाली हानि को कम–से–कम किए जाने की दृष्टि से पुनर्विचार किया गया। भविष्य में ऐसी स्थितियों में अनुपालन किए जाने वाले अनुदेशों का संशोधित सेट संलग्न है।

2. इन अनुदेशों के अनुसार किसी अतिविशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु होने पर सरकार के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बंद नहीं रखा जाएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर अंत्येष्टि के स्थान पर अंत्येष्टि वाले दिन ऐसे प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और उस दिन परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। किसी अन्य अति–विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु होने पर इस अधिनियम के अधीन कोई अवकाश घोषित नहीं किया जाएगा।

3. राष्ट्रपति या प्रधांनमत्री की मृत्यु होने पर संघ राज्य क्षेत्राों की सरकारों और प्रशासनों द्वारा संलग्न अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा। राज्य सरकारों से भी अनुरोध हे वे भी इसी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाएं। केन्द्र के किसी अन्य अतिविशिष्ठ व्यक्ति की मृत्यु होने पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यालयों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने की आवश्यकता नहीं होगी।

4. राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी अति–विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु होने पर अपने कार्यालय बंद रखने के बारे में संबंधित सरकार अथवा प्रशासन निर्णय लेगा। ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयो और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में राज्य सरकारों को अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु राज्य के राज्यपाल या मुख्यमंत्री की मृत्यु होने पर ऐसे कार्यालयों (किंतु औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं) को संलग्न अनुदेशों के अनुसार बंद रखा जाना चाहिए ताकि अधिकारी और कर्मचारी अति–विशिष्ट मृतक को श्रंद्धाजलि अर्पित कर सकें या उसकी अंत्येष्टि में शामिल हो सकें।

5. केन्द्र सरकार के अति–विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु होने पर न्यायालयों को बंद रखने की प्रक्रिया संबंधित उच्च न्यायालय के आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

***

**अनुबंध–I**

**अति–विशिष्ट व्यक्त्यों की मृत्यु होने पर सरकारी कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के संबंध में अनुदेश**

**सामान्य अनुदेशः**

1. **राष्ट्रपति :** राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर

(i) मृत्यु के दिन पूरे भारत में केन्द्र सरकारक सभी कार्यालय बंद रहेंगे; और

(ii) अंत्येष्टि के दिनः–

(क) पूरे भारत में केन्द्र सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे।

(ख) जिस स्थान पर अंत्येष्टि की जारही हो उस स्थान के केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

(ग) यदि अंत्येष्टि के दिन सार्वजनिक अवकाश न हो तो गृह मंत्रालय द्वारा पक्रामय लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन अंत्येष्टि के स्थान के कार्यालय आदि के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा।

2. **उप राष्ट्रपति :** उप राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे।

(क) मृत्यु के दिन पूरे भारत में; और

(ख) जहां अंत्येष्टि की जा रही हो उस स्थान में अंत्येष्टि के दिन आधे दिन के लिए।

3. **प्रधानमंत्री :** प्रधानंमत्री की मृत्यु होने पर मृत्यु के दिन पूरे भारत में और अंतयेष्टि के दिन पूरे भारत में केन्द्र सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे।

4. **मंत्रिमंडल के केन्द्रीय मंत्री :** केन्द्रीय मंत्री की मृत्यु होने पर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय निम्नानुसार बंद रहेंगेः–

(क) दिल्ली में आधे दिन
(ख) यदि अंत्येष्टि दिल्ली से बाहर की जा रही हो तो अंतयेष्टि के स्थान पर आधे दिन।

5. **केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यः** राज्य मंत्री या केन्द्रीय उप–मंत्री की मृत्यु होने पर मृतक मंत्री के सीधे प्रभार के अधीन केन्द्र सरकार के कार्यालय निम्नानुसार बंद रहेंगेः–

(क) दिल्ली में आधे दिन; और
(ख) यदि अंत्येष्टि दिल्ली से बाहर की जा रही हो तो अंतयेष्टि के स्थान पर आधे दिन।

6. **राज्य के राज्यपाल या मुख्यमंत्री**

किसी राज्य के राज्यपाल या मुख्यमंत्री की मृत्यु होने पर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय निम्नानुसार बंद रहेंगेः–

(क) संबंधित राज्य की राजधानी में आधे दिन के लिए।
(ख) यदि मृत्यु राज्य की राजधानी के बाहर हो तो उस स्थान पर भी आधे दिन के लिए
(ग) यदि अंत्येष्टि किसी अन्य स्थानपर की जा रही हो तो अंत्येष्टि के स्थान पर आधे दिन के लिएं

**विशेष अनुदेश :**

1. राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर गृह मंत्रालय, केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों आदि को सूचित करेगा। आकाशवाणी भी इसकी घोषण करेगी। पूरे भारत में सभी कार्यालयाध्यक्ष गृह मंत्रालय से या आकाशवाणी से इसकी सूचना मिलते ही अपने कार्यालयों को बंद रखने की व्यवस्था करेंगे।

2. यदि राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की मृत्यु की सूचना कार्यालय समय के पश्चात मिलती है और अगला दिन कार्यदिवस हो तो अगले दिन पूरे भारत में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय बंद रहेंगे।

3. यदि राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की मृत्यु की सूचना दोपहर बाद प्राप्त होती है तो शेष बचे समय के लिए कार्यालय बंद रहेंगे। परंतु, यदि दोपहर बाद सूचना मिलने पर भी कम–से कम तीन घंटे तक कार्यालय बंद रखना संभव न हो और अगला दिन कार्यदिवस हो तो अगले दिन भी कार्यालय बंद रखने के लिए गृह मंत्रालय अनुदेश जारी कर सकता है।

4. संघ सरकार के केन्द्रीय मंत्री की मृत्यु होने पर गृह मंत्रालय दिल्ली के कार्यालयों और अंत्येष्टि के स्थान पर पूर्वाह्न्न या अपराह्न्न आधा दिन कार्यालय बंद रखने की सूचना देगा।

5. केन्द्रीय राज्य या उप–मंत्री की मृत्यु होने पर संबंधित मंत्रालय या विभाग यह निर्णय लेंगे कि दिल्ली में अंत्येष्टि के स्थान पर वे अपने कार्यालयों को कब पूर्वाहन या अपराहन में बंद रखेंगे।

6. राज्य के राज्यपाल या मुख्यमंत्री की मृत्यु होने पर कार्यालय को पूर्वाह्न या अपराह्न कब बंद रखा जाए, इसका निर्णय स्थानीय कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा राज्य सरकार के मुख्य सचिव के परामर्श से किया जाएगा।

7. राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों/प्रशासनों के अधीन कार्यालय और औद्योगिक प्रतिष्ठान उपर्युक्त अनुदेशों का पालन करेंगे। इन कार्यालयों को केन्द्र के अन्य अति–विशिष्ट व्यक्तियों की मृत्यु होने पर बंद रखने की आवश्यकता नहीं होगी।

8. संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक या मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री की मृत्यु होने पर संबंधित संघ राज्य क्षेत्र की सरकार/प्रशासन अपने कार्यालयों को बंद रखने के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकती/सकता है। इन स्थितियों में संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित केन्द्र सरकार के अन्य कार्यालय बंद नहीं रहेंगे।

**(बी पी ई सं 2(22)/77–बी पी ई (जी एम-I)(कजी एम-I) तारीख 6 दिसम्बर, 1979)**